न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 141/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

सीताराम पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 10 खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.।

—वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

दावा बाबत् उद्घोषणा व रिकार्ड संशोधन
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 21.02.2022**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 1282 ता 1284 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 व भूमि ख.नं. 1285 रकबा 0.14 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 है0 तन ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियो मे वादी का सम्पूर्ण हक हिस्सा है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त खातेदारी वादी के नाम सीताराम पुत्र रामेश्वर लाल जाति ब्राहमण के नाम से दर्ज है। वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम भगवान सहाय है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, कार्यालय नगर पालिका खाटूश्यामजी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम भगवान सहाय दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलत व लापरवाही से वादी के पिता का नाम भगवान सहाय की जगह रामेश्वरलाल दर्ज हो गया है जो गलत है। रामेश्वरलाल की जगह वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम भगवान सहाय उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो की लापरवाही से भगवान सहाय के स्थान पर रामेश्वरलाल दर्ज हुआ है जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम भगवान सहाय है। तथा सीताराम पुत्र रामेश्वरलाल व सीताराम पुत्र भगवान सहाय एक ही व्यक्ति है। जो संशोध्न किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय मे गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। इसलिये श्रीमानजी

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

की सेवामें दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1282 ता 1284 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 व भूमि ख.नं. 1285 रकबा 0.14 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 है0 तन ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम रामेश्वरलाल के स्थान पर वादी की पिता का सही व वास्तिविक नाम भगवान सहाय दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम रामेश्वरलाल के स्थान पर वादी की पिता का सही व वास्तिविक नाम भगवान सहाय दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ ने रिपोर्ट में अकंन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2026–2030 में उक्त खसरों की खातेदारी रामप्यारी बेवा भगवाना कोम ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज थी। जरिये नामान्तकरण संख्या 814 दिनांक 30.06.1971 बक्सीसनामा के द्वारा रामप्यारी बेवा भगवाना के वजाय सीताराम पुत्र रामेश्वर कौम ब्राहमण के नाम दर्ज की गयी है। आवेदक के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में आवेदक का नाम सीताराम पुत्र भगवानसहाय दर्ज है। प्रकरण में लिपिकीय गलती नहीं होकर आवेदक पिता का नाम परिवर्तन करवाना चाहता है। उक्त प्रकरण में राजस्व अभिलेख में कोई लिपिकीय त्रुटी नहीं है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वादी का दावा उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती खारिज किया जाता है

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/2/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)